

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.ASHENDRA SINGH
F/o PANKAJ SINGH
Address- MIG 8 NAVRANG PARK COLONY BIRLA ROAD
SATNA MP PINCODE 485001

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.GAJENDRA CHAWLA
F/o AASHUL CHAWLA
Address- HN. E7 378 STREET ARERA COLONY CITY BHOPAL
MP 462016

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.VHANAPPA
F/o KABADE MAYUR VHANAPPA
Address- 1625/2A, DHAGE MALA, KURDUWADI ROAD,
BARSHI DIST SOLAPUR MAHARASTRA 413401

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr. MOHAR SINGH LODHI
F/o NARESH LODHI
Address- HOSTEL NO- 1, TAKSHSHILA NSCB MEDICAL
COLLEGE JABALPUR MP PINCODE - 482003

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.ASHISH DUBEY
F/o ASHITA DUBEY
Address- 1440 WRIGHT TOWN SATYA ASHOKA HOTEL
ROAD JABALPUR MP PINCODE - 482002

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr. RAJESH GOME
F/o ABHISHEK GOME
Address- 46, narayan pura ujjain ujjain mp 456010

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.SANKER LAL MISHRA
F/o AKASH MISHRA
Address- MISHRA GALI OLD CITY DHOLPUR RAJASTHAN
328001

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.ARUN AHARWAL
F/o TANUSHREE AHARWAL
Address- 121 SADHNA SAKAN SANGAM COLONY NEAR JAIN
MANDIR BALDEOBAGH JABALPUR MP PINCODE 482002

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.GULAB DAS
F/o RAJKUMAR PACHLANIYA
Address- HN. 22 PALASIROUNA HOSHANGABAD MP
461001

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आव्हान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.DHANANJAY NIVASARKAR
F/o NIVASARKAR SANAT DHANANJAY
Address- SA NO. 282/B PLOT NO. 37, NEAR JANAI MALAI
COLONY KODOLI SATARA, SATARA MAHARASTRA 415004

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.KAMAL KUMAR SEN
F/o GOURAV SEN
Address- M23 MAYA ENCLAVE PHASE-3 NABIBAGH ROAD
BHOPAL MP PINCODE462038

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.VIDYAKANT DWIVEDI
F/o PRAVEEN DWIVEDI
Address- VILL - USARGAON POST SOHAGI THESIL
TYONTHAR REWA MP PINCODE 486226

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.MOTILAL SINGH
F/o ATUL KUMAR KHARE
Address- 25 VILL BELA CHIBOURA THE RAMPUR BAGHELAN
SATNA MP PINCODE - 485111

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.ASHOK KOTHARI
F/o AKRITI KOTHARI
Address- 4 HANUMAN GALI KHARWAL RATLAM MP
PINCODE 457226

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आव्हान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.MANJUNATHA M
F/o CHANDRAMOULI M
Address- HN. 11 STREET NERNAKALLU CITY CHINTAMANI
DISTRICT CHICKBALLAPUR STATE KARNATAKA 563128

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.VIJAY SINGH PARIHAR
F/o ARJUN SINGH PARIHAR
Address- 29/389 HARINANDAN COLONY GHOSI PURA
GUNA GUNA MP PINCODE - 473001

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। “मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017” के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि “अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।”

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr. RAJENDRA KUMAR
F/o ANKITA RITURAJ
Address- H. NO. 1287/8 UDAY NAGAR NO.- 2 V.F.J.
SECTOR-2 JABALPUR MP 482009

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.RAKESH TRIPATHI
F/o RITIKA TRIPATHI
Address- CIVIL LINES KOTHI ROAD MITHU BEAUTY
PARLOUR SATNA MP SATNA MP PINCODE - 485001

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आव्हान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.MADU KHARADEE
F/o RAJESH KHARADEE
Address- RAJGARH ROAD VILLAGE RATIMALI POST PARA
TEHSIL AND DISTRICT JHABUA MP PINCODE - 457661

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.MANOJ KUMAR JAIN
F/o MANSI JAIN
Address- RAJENDRA KUMAR MANOJ KUMAR JAIN 221
CHHOTI MASJIT HALI GUNA MP 473001

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.ARUNKUMAR MISHRA
F/o JAYPRAKASH A MISHRA
Address- SHREE MACHIHI MAHAJAN APARTMENT, H. NO.
11/301 BARUDIA SHERI, NANI DAMAN, DAMAN AND DIU
PINCODE- 396210

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.NAGARAJU
F/o JAGADISH N
Address- BANDIRANGANATH FACTORY BONNASANDRA
INDL AREA PHASE HEBBAGAODI ANEKAL TALUK,
BANGLORE KARNATKA 560099

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.HIRA LAL MAJHI
F/o DHANANJAI MAJHI
Address- WARD NO. 1 NEAR HIGHER SECONDARY SCHOOL
NIPANIYA REWA MP PINCODE - 486001

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.KAILASH NARAYAN RAJAK
F/o KAPIL RAJAK
Address- BEHIND OF DURGA TALKIES NAI SADAK GUNA MP
473001

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.RASHNARAYAN PRASAD
F/o SUJEET KUMAR HIMANSHU
Address- SADHNA BAZAR SAMITI, SANRHA, SARAN. BIHAR -
841301

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr. RAJEEV CHANDRA SINGH KHATI
F/o AYUSH KHATI
Address- H.NO. - 318 B, LEELA NEWAS, BINSAR COLONY,
NEAR RAINBOW PUBLIC SCHOOL, BITHORIA NO-1, POST -
HARIPUR NAYAK, HALDWANI, NAIN TAL, UTTARAKHAND -
263139

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
M.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr. RAJBIR YADAV
F/o RIA YADAV
Address- 11, SEC. 1, REWARI, REWARI HARYANA - 123401

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.RAJARAM
F/o AVINASH DHAKAD
Address- WARD NO. 1 TIJORI COLONY BHANPURA
BHANPURA MANDSAUR MP PINCODE - 458775

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक Q/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रति,

Mr.KAMLAPRASAD PATEL
F/o PRADEEP PATEL
Address- MIG 72 A KHANWANTRINAGAR JABALPUR
JABALPUR MP PINCODE- 482003

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।


Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश